RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-10
October-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.019

पंचायती राज विकास में महिलाओं की भूमिका

कुमारी अर्चना सिन्हा

शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग मगध विश्वविद्यालय बोध गया

भूमिका

महिलाओं की स्वतंत्रता, राजनीति में उनकी भागीदारी तथा समाज में उनके आगे आने अथवा पुरूषों से उनकी समानता आदि प्रश्नों के बारे में जब हम सोचते हैं तो समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक न रह सकी और पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के उद्वेश्य से 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ तथा विश्वभर में नारी सशक्तिकरण की चर्चा की जाने लगी जिसके फलस्वरूप 08 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस घोहषत किया गया। भारत में आजादी के पूर्व और बाद में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये गये। अनेक कानूनों के द्वारा उन्हें अधिक संपन्न बनाया गया। प्रस्तुत शोध पत्र पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

19वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए जहां धार्मिक एवं सामाजिक सुधारकों ने अनषेक प्रयत्न किये वहीं नवीन मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार ने भी विभिन्न कानून बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही महिलाओं को भारतीय समाज में और सशक्त बनाने के उद्वेश्य से भारत के संविधान में स्त्री–पुरूष समानता कानून (अनुच्छेद 14) बनाया गया। इसके बाद अनेक अधिनियम जैसे 1955 का हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम तथा 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा आर्थिक अधिकारों के साथ–साथ सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसी के साथ 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला बाल विकास का गठन किया गया तथा 2001 में राष्ट्रीय महिला नीति बनाई गई जिसमें महिलाओं और उनके कल्याण से संबंधित अनेक योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये गये।

नारी सशक्तिकरण के इतने प्रयास महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बताते हैं, परन्तु राजनीतिक का क्षेत्र लम्बे समय से पुरूषों का रहा है। तथा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की रही है। महिलाओं की राजनीति में रूचि बढ़े इसे उद्वेश्य को लेकर 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत, राजनीति आरक्षण देने का निर्णय किया गया जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। परन्तु तब से लेकर आज तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सपना बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता का स्वरूप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में तीन प्रकार के पंचायत पदाधिकारियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पदाधिकारी है। सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मैम्बर। सत्ता के स्वरूप में अपनी स्थिति के कारण ये सभी निर्णय प्रक्रिया पर असर डालते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के इन लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों का व्यवहार ही पंचायतों के निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए उनकी राजनैतिक, पृष्ठभूमि, राजनैतिक महत्वाकांक्षा, स्वयसेवी संगठनों में भागीदारी, संबंधित पंचायतों की समस्याओं की समझ, ग्रामीण से सम्पर्क और राजनीतिक निष्ठा के बारे में विस्तृत विचार–विमर्श से निर्णय प्रक्रिया में आ रहे बदलावों पर प्रकाश पड़ेगा।

पंचायतों के प्रकार

इन पंचायतों में ज्यादातर निम्न जातियां और निम्न वर्गों के लोग ही रहते हैं, जबकि कुछेक उच्च जातियों के लोग भो यहां रहते हैं। पिछले सालों में आबादी में वृद्धि तो हुई है। लेकिन कई युवा, सूरत, मद्रास और बंगलौर जैसे शहरों की तरफ प्रवास कर गए है।इस पलायन का मुख्य कारण पूरे वर्ष प्राप्त काम को अनुपलब्धता और इन पड़ें शहरों एवं महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक आमदनी का होना ही है।

ग्रामों में हर जाति का समूह अलग–अलग टोलों में रहता है। इनके मकान अधिकतर मिट्टी और फूस की छतों से बने है। इनमें से कुछ मकान पक्की ईटों से

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भी बने हैं, जिनमें ईटों की मिट्टी से जोड़ा गया है। मकान बहुत ही छोटे है। और गाय, बैल, बकरी सुअर आदि पालतू जानवर इनके सामने ही बंधे रहते है। अधिकांश मकानों में किसी भी प्रकार की खिड़की या रोशनदान नहीं है। इनमें इतना अंधेरा रहता है। कि दिन में भी मिट्टी के तेल के दीपक या टार्च की मदद के बिना काम नहीं चल सकता। कमरों में ट्रेन की बोगियों की तरह सिर्फ एक प्रवेश द्वार रहता है। अधिकांश मकानों में पानी या चापाकल का साधन नहीं है न ही इनमें शौचालयों की व्यवस्था है।

बड़े शहरों के पास स्थित होने के कारण इन गांवों के लोगों को शहरी लोगों से बराबर संपर्क रहता है। यहां के युवाओं में शहरी जीवन का प्रभाव उनके कपड़ों, खान–पान, मोटर–वाहन, मोबाईल, कम्पयूटर टी०वी० जैसी चीजों से साफ झलकता है।

इन ग्रामों में जाति सबसे प्रमुख कारक है, जिससे लोगों की सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति निर्धारित होती है। ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊँची जाति के लोगों के पास अपेक्षाकृत ज्यादा भू–सम्पत्ति या व्यापार के साधन है जबकि निम्न जातियों के लोगों को के पास बहुत कम भूमि है या फिर वे भूमिहीन हैं पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। रहने के इलाके भी जाति के हिसाब से बंटे हुए है। प्रत्येक जाति समूह अलग–अलग गलियों में रहता है। हर गली के नामकरण जाति, व्यवसाय या धर्मिक संप्रदाय के आधार पर हुआ है। बाहर से आकर बसे लोग अपने मूल स्थान के नाम से पहचाने जाते है। आदिवासी बहुत गांवों में रहन–सहन उनकी मूल जाति के अनुसार है। गैर आदिवासी लोग अलग जगहों पर पहते है। चापाकल, तालाबों और नदी के उपयोग जैसे रोजमर्रा के कामों में और सामाजिक उत्सवों के दौरान जाति प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता है। विवाह के अवसरों पर निम्न जातियों के लोग अलग से अपना मनोरंजन करते है और उच्च जाति के लोगों की सेवा करते रहते हैं। वह रोचक तथ्य है कि जाति–आधारित पृथक्करण को निम्न जातियों द्वारा कभी भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है। उन्हें इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव महसूस नहीं होता है। ऊँचे जातियों के लोग निम्न जातियों और आदिवासियों के सामाजिक उत्सवों में शामिल हाते हैं और काफी सम्मान भी पाते हैं, परन्तु वे इनका भोजन प्रायः नहीं खाते हैं। ग्रामों में सामुदायिक जीवन में एकता है परन्तु जाति और दलगत भेद भी हैं। सत्ता की लड़ाई में गांव के प्रभावशाली लोग अपने समर्थकों का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में मनमुटाव और दुश्मनी भी फैलाते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- पंचायतीय राज व्यवस्था के उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास का दर्शाना।
- महिला नेतृत्व की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना।
- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका कितनी सक्रिय है को ज्ञात करना।
- यह ज्ञात करना कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका सकारात्मक है अथवा नकारात्मक
- चयनित क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की असार्थकता का पता लगाना।
- महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज–व्यवस्था के योगदान को ज्ञात करना।

प्राक्कल्पनायें

- भारतीय सामाजिक संरचना महिला नेतृत्व एवं जागरूकता की विरोधी है।
- महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक संतोषजनक नहीं रहती है।
- महिलाऐं पंचायत राज व्यवस्था की आरक्षा प्रणाली का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाती है।
- महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति और महिला नेतृत्व का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाती है।

आय की दृष्टि से युवा महिलाओं की पंचायतों में भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय होती है।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास के संदर्भ में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय है।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति

किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यवहार और उद्देश्य वर्ग चरित्र और सामाजिक उद्गम द्वारा ही निर्धारित होता है। वह उन सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जिनमें वे शामिल होते है। निर्णायकों के बारे में किसी भी तरह का अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, क्योंकि इसी से संस्थागत सत्ता संरचना की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इससे प्रभवशाली और कम प्रभाव वाले लोगों की भी पहचान होती है। जहां तक निर्णय लेने का संबंध है, सामाजिक पृष्ठभूमि इस पर काफी असर डालती है। कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कि सामंतवाद और

लोकतंत्र के मेल के बीच सामाजिक पृष्ठभूमि निर्णय प्रक्रिया को निर्धारित करती है।

राजनीतिक भागीदारी

महिला प्रधान पद के कारण उनका सम्पर्क ग्रामों के प्रभावशाली लोगों, पार्टी कार्यकर्त्ताओं और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों से हुआ और उन्होंने ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लिया। इन सभी संपर्कों और गतिविधियों से उनके अंदर अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और सम्पर्ण की भावना जागृत हुई। लेकिन निजी कारण जैसे राजनीतिक कामों में रूचि एवं स्वभाव ही उनके राजनीतिक कामों में रूचि एवं स्वभाव ही उनके राजनीतिक आचरण और दृष्ठिकोण पर ज्यादा प्रभावी है। अपने सहयोगियों, परिवारजनों और समाज के लोगों के सहयोग से बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने से उनकी कार्यकुशलता और क्षमता में सुधार हुआ है। आर्थिक लाभ की वजह से भी सक्रियता में वृद्धि हुई है। नियमित भागीदारी से क्षमता विकास और हिस्सेदारी की ओर झुकाव पैदा करने के अवसर उपलब्ध हुए है।

समस्याओं की समझ :– पंचायतों और अन्य बैठकों के दौरान निजी चर्चा एवं प्रेक्षण से और चुनिंदा ग्रामवासियों तथा अधिकारियों के एकत्र विचारों से इन प्रतिनिधियों की ग्राम समस्याओं के बारे में समझ की झलक मिलती है। यद्यपि हर गांव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन उनकी समस्याएं बहुत हद तक समान है।

समस्याएं

पूरे साल रोजगार की कमी, पेयजल की सुविधा का अभाव, अपर्याप्त, सिंचाई, संचार सुविधाओं की कमी, विद्यालय और अस्पतालों की कमी, ग्राम स्तर पर अधिकारियों का असहयोग, नागरिकों की कल्याण–कार्यों में दिलचस्पी कम होना, पशुओं के लिए चारे और स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी, भ्रष्टाचार एवं कार्यालयों में अनुपस्थिति।

निर्णय प्रक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं के निर्णयों पर व्यक्ति की स्थिति या निर्णायक समिति में उनके महत्व का बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा कई विकल्पों में से सही विकल्प चुनने में भागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भागीदारी से सदस्य व्यक्ति की जानकारी और वास्तविक क्षमता में वृद्धि होती है। जो अंततः निर्णयों को प्रभावित करते है। निर्णय लेने वाले प्रभावशाली लोगों की पहचान के लिए इस अध्ययन में तीन कारक लिए गए है– स्थिति संबंधी, प्रतिष्ठा संबंधी और निर्णय प्रक्रिया संबंधी पंचायतों में आने के बाद ग्रामवासियों के साथ उनका संवाद और अधिक होने लगा है। ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा कर उनकी समझ अधिक विकसित हुई है। ग्रामवासियों को इनमें बहुत अधिक उपेक्षाएं है। पर वे जानते हैं कि अधिकारों के अभाव में वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। कई अवसरों पर इन महिला प्रतिनिधियों ने ग्राम या ब्लॉक स्तर पर अपनी उपेक्षा भी महसूस की है। पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता के केन्द अभी तक पुरूष और उच्च जातियां ही रही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित होने से ही महिलाओं को इनमें प्रवेश मिल सका है। अभी भी पंचायतों में पुरूषों का वर्चस्व है। क्योंकि लगभग सभी सरपंच पुरूष है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष भी पुरूष है। इन संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति जरूर हुई है।

पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण

लोकतांत्रिक सत्ता और शक्ति के ढांचे का जन–जन तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है। पंचायती राज इसे ग्रामीण समाज की रीढ़ भी कह सकते हैं। भारत गांवों का देश कहलाता है। देश की 72 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण इसी व्यवस्था में संभव है। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि वेद, महाभारत, धर्म–सूत्र, जातक, अर्थशास्त्र मनुस्मृति आदि ग्रंथों में इसका विवरण प्राप्त होता है। आर्यों के समय से ही व्यवस्था किसी न किसी रूप में समाज में उपस्थित थी। महाभारत काल में पंचायत को सभा और गण के नाम से जाना जाता था। यद्यपिइ स युग में राजा ही श्रेष्ठ था, उसे ही सर्वोच्च माना जाता था, फिर भी इनका महत्व कम नहीं था। बौद्धकाल में पंचायत का पूर्ण अधिकार और प्रभाव ग्रामीणों में होता था।

गांव पंचायत की सबसे अधिक दयनीय स्थिति मुगलकाल में हुई। इस युग में पंचायत व्यवस्था लुप्त नहीं हुई पर इन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने समस्त ग्रामीण शक्ति के ढांचे को कमजोर बनाने के लिए शक्ति आने हाथों में ले ली। यह उनके शोषण की प्रवृत्ति का एक हिस्सा था। इन्होंने पंचायतीराज को निर्जीव बना दिया। ब्रिटिशकाल में पंचायत व्यवस्था की साख गिरी ही नहीं बल्कि अंदर और बाहर से जर्जर हो गई। पंचायती राज की वास्तविक उन्नति स्वतंत्रता के पश्चात हुई।

परिवार का सहयोग

परिवार के सहयोग का यह मतलब नहीं कि नये पंचायती राज में महिलाओं को पंच/सरपंच तो बनने

RRIJM 2015, All Rights Reserved

दिया जाए पर उन्हें पंचायतों की बैठकों में जाने से रोका जाए। पंचायतों की बैठकों में परिवार के अन्य सदस्य पति, भाई, बेट को जाना कोई सहयोग नहीं है। यदि परिवार का सहयोग नहीं मायने में मिले तो महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी कारगर बन सकेगी। इस प्रकार इन समस्त सुझावों को व्यवहार में लाने के प्रयासों को क्रियान्वित करके नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के योगदान को सफल तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार यह चाहती है कि पंचायत के जरिए महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो तो वह बहुत आवश्यक है कि उन्हें कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि वे उच्च अधिकारियों एवं सरकार से किस प्रकार कार्य करवाएं, कैसे प्रस्ताव बनाएं कैसे बजट बनाएं कैसे ग्रामीण विकास के कार्यों की रूपरेखा बनाएं आदि। ये भी बनाएं कि विभिन्न स्थानीय समस्याओं का निराकरण वे अपने स्तर पर किस प्रकार कर सकती है। इसके साथ ही वे सारी बांधाएं जो उनके राजनीतिक गतिविधियों में आड़े आती है। उनका भी निराकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ सूची

[1]. सिंह, बी.एन. जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010
[2]. सं० संतोष खन्ना, 21 वीं शदी में नारी कानून और सरकार विधि भारती परिषद्, दिल्ली, 2007
[3]. सिंह निशांत, भारतीय महिलाएं एक सामाजिक अध्ययन, ओमेग पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009
[4]. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार– 2019

RRIJM 2015, All Rights Reserved